

कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फोन : 01582-241046, फैक्स : 01582-246175, ईमेल : def.ngr. forest @ rajasthan. gov. in

क्रमांक : एफ () तक/उवसं/2017-18/4076

दिनांक : 15.05.2017

निमित्त :

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी FCA
राज, जयपुर

विषय : प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/21211/2016 तरनाऊ से भुकुन्दगढ़ रोड़।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया था। कुल 3.3 है. वन क्षेत्र में उक्त अधिनियम का उल्लंघन कर शोलडर एवं नाली निर्माण किया गया था।

उक्त 3.3 है. क्षेत्रफल का विवरण निम्नानुसार है:-

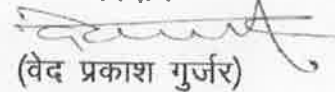
सड़क की कुल लम्बाई 11 किमी जिसके दोनों ओर 1.5 की दूरी में शोलडर निर्माण व नाली निर्माण कार्य कराया गया।

इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 11000मी.X1.5मी LHS

11000मी.X1.5मी RHS

कुल क्षेत्रफल 33000 वर्गमीटर या 3.3 है. वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय


(वेद प्रकाश गुर्जर)

उप वन संरक्षक

नागौर

क्रमांक: सम/

दिनांक : 15.05.2017

प्रतिलिपि : मुख्य वन संरक्षक, अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(वेद प्रकाश गुर्जर)

उप वन संरक्षक

नागौर